भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 172

उत्तर देने की तारीख 01 दिसंबर, 2025

सोमवार, 10 अग्रहायण, 1947 (शक)

कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवा

172. डॉ. आनन्द कुमार गोंडः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उचित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय रोजगार बाजार में कौशल संबंधी कमियों के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कौशल विकास योजना के अन्तर्गत अब तक प्रशिक्षित युवाओं का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने और रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी गैर-व्यावसायिक स्नातक कार्यक्रमों में कम से कम एक कौशल प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम को अनिवार्य बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास निकट भविष्य में युवाओं को रोजगार और बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करने के लिए इस पर विचार करने की कोई योजना है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित जिला कौशल समितियों (डीएससी) को स्थानीय रोजगार के अवसरों, कौशलीकरण की मांग और उपलब्ध प्रशिक्षण अवसंरचना की पहचान करके विकेंद्रीकृत, जमीनी स्तर के कौशल नियोजन के लिए सहायता देने हेतु जिला कौशल विकास योजनाएँ (डीएसडीपी) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। इसके बाद, विभिन्न क्षेत्रों में इन चिन्हित कौशल अंतरालों को पाटने के लिए सरकारी कौशल कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उद्योग विशेषज्ञों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी) नियमित रूप से

क्षेत्रवार कौशल आवश्यकताओं का आकलन करने और योग्यता मानक निर्धारित करने के लिए कौशल अंतराल अध्ययन आयोजित करती हैं, जो कार्यबल को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने हेतु सरकारी उपायों का मार्गदर्शन करते हैं।

(ख) भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनःकौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित करना है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) कौशल विकास योजनाओं के प्रभाव का आकलन उनके तृतीय पक्ष द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की योजनाओं के मूल्यांकन में उनके सकारात्मक परिणामों को स्वीकार किया गया है और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति या आजीविका में सुधार के संदर्भ में उनकी सफलता का उल्लेख किया गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

पीएमकेवीवाई: एमएसडीई की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2020 में किया गया था और अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित और अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त करेंगे। इसके अलावा, पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार में रखे गए और आरपीएल घटक के तहत अभिविन्यस्त 52 प्रतिशत उम्मीदवारों को उच्च वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने अप्रमाणित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा।

जेएसएस: 2020 में जेएसएस योजना पर किए गए मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया कि प्रशिक्षण ने लाभार्थियों की घरेलू आय लगभग दोगुनी कर दी, जिसमें महिलाओं (79%) और ग्रामीण समुदायों (50.5%) की सशक्त भागीदारी रही। अध्ययन में आजीविका में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किए गए, जिनमें 73.4% प्रशिक्षुओं के लिए बेहतर रोज़गार, 89.1% के लिए उच्च आय और 85.7% के लिए प्रभावी लाभार्थी जुटाना शामिल है। इसमें यह भी बताया गया कि 77% प्रशिक्षु नए व्यवसायों में चले गए, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप स्व-रोज़गार पर योजना के सशक्त फोकस को दर्शाता है।

आईटीआई: एमएसडीई द्वारा 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्णों में से 63.5% को रोजगार मिला (वेतन+स्व, जिनमें से 6.7% स्व-नियोजित हैं)।

एनएपीएस: 2021 में किए गए एनएपीएस के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया कि इस योजना ने संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके और विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाकर युवाओं की रोज़गार क्षमता में सुधार किया है। योजना के नए संस्करण में, सरकार के हिस्से को सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए डीबीटी पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में सुव्यवस्थित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की सिफारिश की गई थी।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि गुणवत्तापारक उच्च शिक्षा का उद्देश्य अच्छे, विचारपूर्ण और सृजनात्मक व्यक्तियों का विकास करना है। एनईपी की सिफ़ारिशों के दृष्टिगत यूजीसी ने विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणालियों को संशोधित किया है और अवरस्नातक कार्यक्रमों के लिए एक नई पाठ्यचर्या और क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस फ्रेमवर्क में एनईपी की सिफ़ारिशों को दर्शाया गया है जैसे कि सीमित डिग्री कार्यक्रम, बहु प्रवेश और निकास आदि, सिंगल मेजर सहित लचीला डिग्री विकल्प, डबल मेजर, बहु-अंतर्विषयात्मक विकल्प, और एक पाठ्यक्रम जो शैक्षिक विषयों के अतिरिक्त नियोजनीयता कौशलों से युक्त हो। इस पाठ्यक्रम में प्रमुख विषय पाठ्यक्रम, गौण विषय कार्यक्रम और अन्य विषय के पाठ्यक्रम, भाषा पाठ्यक्रम, कौशल पाठ्यक्रम और पर्यावरण शिक्षा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, डिजिटल और प्रौद्योगिकीय सोल्यूशंस, स्वास्थ्य और कल्याण, योग शिक्षा और खेल और फिटनेस संबंधी पाठ्यक्रमों का एक सेट शामिल है। गौण विषय पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल है जो विद्यार्थियों को नौकरी उन्मुख कौशलों से सुसज्जित होने में सहायक होंगे। 'गौण' विषय जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से संबन्धित है, उनके लिए न्यूनतम 12 क्रेडिट आवंटित किए जाएंगे और इन्हें प्रमुख अथवा गौण विषय अथवा विद्यार्थी की पसंद के अनुसार देखा जा सकता है । ये पाठ्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए नौकरी ढूंढने में उपयोगी होंगे जो कार्यक्रम पूरा होने से पेहले ही उन्हें बीच में छोड़कर चले जाते है।

इसके अतिरिक्त, एआईसीटीई ने तकनीकी और उच्च शिक्षा को उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। प्रमुख उपायों में अनिवार्य इंटर्नशिप के साथ परिणाम-आधारित आदर्श पाठ्यक्रम की शुरुआत और उद्योग-अकादमिक गतिशीलता को बढ़ावा देना शामिल है, जो उद्योग जगत के पेशेवरों के साथ सहयोग और जुड़ाव को सुगम बनाने वाले दिशानिर्देशों के माध्यम से है। संस्थानों को उद्योग भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और एआईसीटीई ने शैक्षणिक कार्यक्रमों में उद्योग-प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने के लिए सेल्सफोर्स, एडोब, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, सीडैक, बजाज फिनसर्व, व्हीबॉक्स और अन्य जैसे अग्रणी संगठनों के साथ सहयोग किया है।

अनुबंध- I

कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं के संबंध में 01.12.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 172 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

एमएसडीई स्कीम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या

क्रं.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	एनएपीएस (2021-22 से 31.10.2025 तक नियुक्त शिक्षु)*	जेएसएस (2018-19 से 31.10.2025 तक)	पीएमकेवीवाई (स्थापना से दिनांक 31.10.2025 तक)	सीटीएस (सत्र 2014-15 से 2024-25 तक नामांकित अभ्यर्थी)
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	401	6,600	5,501	4,949
2.	आंध्र प्रदेश	90,225	76,690	5,28,234	5,81,629
3.	अरुणाचल प्रदेश	317	--	98,157	6,332
4.	असम	44,302	66,006	8,39,672	36,821
5.	बिहार	27,264	2,17,133	7,60,581	11,11,363
6.	चंडीगढ़	5,330	11,803	28,035	10,218
7.	छत्तीसगढ	22,850	1,37,946	2,04,543	2,13,969
8.	दिल्ली	89,901	38,845	5,27,664	1,01,560
9.	गोवा	39,130	12,227	10,484	21,236
10.	गुजरात	3,83,125	1,19,578	4,71,884	8,37,302
11।	हरियाणा	2,87,735	52,982	7,63,070	5,38,047
12.	हिमाचल प्रदेश	38,609	79,975	1,76,654	2,23,311
13.	जम्मू और कश्मीर	4,454	12,996	4,29,954	57,630
14.	झारखंड	43,785	95,604	3,14,146	3,51,892
15.	कर्नाटक	3,38,175	1,36,703	6,05,744	7,76,554
16.	केरल	57,805	1,11,843	2,74,836	3,57,298
17.	लद्दाख	179	832	4,076	1,851
18.	लक्षद्वीप	28	4,393	390	2,510
19.	मध्य प्रदेश	1,07,276	3,51,410	12,15,857	7,23,746

20.	महाराष्ट्र	10,51,680	2,63,937	13,32,397	12,62,784
21.	मणिपुर	406	47,010	1,15,021	2,931
22.	मेघालय	937	5,380	58,856	6,899
23.	मिजोरम	415	6,354	44,147	4,073
24.	नगालैंड	101	11,522	54,055	2,218
25.	ओडिशा	46,899	2,94,304	6,02,374	5,76,855
26.	पुदुचेरी	13,124	--	35,597	9,160
27.	पंजाब	69,544	21,853	5,63,591	4,46,123
28.	राजस्थान	84,592	90,597	14,08,412	12,69,995
29.	सिक्किम	1,588	--	19,479	3,245
30.	तमिलनाडु	4,10,131	96,403	8,89,722	4,04,463
31.	तेलंगाना	1,68,573	75,767	4,64,811	3,53,439
32.	दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप	11,497	14,578	11,842	5,053
33.	त्रिपुरा	1,678	18,937	1,60,367	20,826
34.	उत्तर प्रदेश	3,08,923	5,92,927	25,09,373	29,73,580
35.	उत्तराखंड	88,507	90,174	2,52,138	1,11,209
36.	पश्चिम बंगाल	1,18,665	89,930	6,51,369	3,32,991
	कुल योग	39,58,151	32,53,239	1,64,33,033	1,37,44,062

*192 नियुक्त शिक्षु, 39,58,151 में शामिल नहीं हैं क्योंकि राज्य परिभाषित नहीं किया गया हैं ।

******